

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

दावा मु.नं. 7/21 जी.सी.एम.एस. 2021/21

1. विशाल उर्फ इसाल पुत्र पप्पूलाल उम्र 10 वर्ष नाबालिग जयवली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व0 पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
2. विरेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र पप्पूलाल उम्र 16 वर्ष नाबालिग जयवली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व0 पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
3. खुशबू उर्फ नीतू पुत्री पप्पूलाल उम्र 13 वर्ष नाबालिग जयवली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व0 पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
4. पूर्णिमा उर्फ ममता पुत्री पप्पूलाल पत्नी रोडूलाल उम्र 22 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव हाल निवासी ग्राम नालोदी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जय तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.वास्ते नाम दुरुस्ती

उपस्थित —

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव
प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 16.02.2021

वादी द्वारा जय एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त कराने बाबत वाद-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण नंबर 01 लगायत 04 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काशत की पैतृक आराजी माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है0, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है0, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1878 की 0.54 है0, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है0, खसरा नंबर 859 की 0.15 है0, खसरा नंबर 860 की 0.35 है0, खसरा नंबर 894 की 0.22 है0, खसरा नंबर 904 की 0.09 है0, खसरा नंबर 905 की 0.09 है0, कुल खसरा कित्ता



Page no 1

खण्ड आवधिकार
कनवास जिला कोटा


13 की रकबा 3.38 है0, आराजी एवं वादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्ज काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या नई 59 के खसरा नंबर 352 की रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 379 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 380 की 2.74 है0, कुल खसरा किता 03 की कुल रकबा 3.15 है0, आराजी स्थित है जो हमारे स्वर्गीय पिता पप्पूलाल की मृत्यु के बाद खुले फोती इन्तकाल से वादीगण के खाते आई हैं

यह कि वादीगण के पिता पप्पूलाल पुत्र मंगल सिंह की मृत्यु करीब 09 वर्ष पूर्व हुई थी उस समय सभी वादीगण काफी छोटे व नाबालिग बच्चे थे तथा उस समय पप्पूलाल के फोती इन्तकाल में वादीगण के घर के बोलते नाम लिखवा दिये जिसमें माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट की खाता संख्या नई 56 के कुल खसरा 13 की कुल रकबा 3.38 है0, आराजी में वादी नंबर 01 का घर का बोलता नाम इसाल लिख दिया जबकि वादी नंबर 01 का माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता की खाता संख्या 59 में सही नाम विशाल दर्ज है जो सही है। इसी प्रकार वादी नंबर 02 का वाद पत्र की पैरा नंबर 01 में वर्णित माल ग्राम नयागांव की आराजी में घर का बोलता नाम निक्कू व दांता की आराजी में घर का बोलता नाम निकू लिखवा दिया जबकि वादी नंबर 02 का स्कूल रेकार्ड व अन्य पहचान पत्रों राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादित में विरेन्द्र पुत्र पप्पूलाल नाम दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार वादी नंबर 03 की वाद पत्र की पैरा नंबर 01 में वर्णित माल ग्राम नयागांव व दांता की आराजी में घर का बोलता नाम नीतू लिखवा दिया जबकि उसके स्कूल रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में खुशबू नाम दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार वादी नंबर 04 की पैरा नंबर 01 में वर्णित माल ग्राम नयागांव व दांता की आराजी में घर का बोलता नाम ममता दर्ज हो रहा है। जबकि वादी नंबर 4 का पहचान के दस्तावेजात, आधार कार्ड, भामशाह कार्ड इत्यादित में पूर्णिमा पत्नी रोडूलाल व हाल निवासी ससुराल ग्राम नालोदी तहसील कनवास दर्ज हो रहा है। तथा माल ग्राम दांता की आराजी में वादी 01 व 02 के पिता का नाम टंकण की गलती से पप्पूलाल दर्ज हो रहा है जो भी दुरुस्त कर पप्पूलाल दर्ज करवाना जरूरी है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है0, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है0, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है0, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है0, खसरा नंबर 1878 की 0.54 है0, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है0, खसरा नंबर 859 की 0.15 है0,

खसरा नंबर 860 की 0.35 है, खसरा नंबर 894 की 0.22 है, खसरा नंबर 904 की 0.09 है, खसरा नंबर 905 की 0.09 है, कुल खसरा किता 13 की रकबा 3.38 है, आराजी में वादी नंबर 01 का नाम ईसाल के स्थान पर विशाल पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 02 का नाम निककू के स्थान पर विरेन्द्र पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 03 के का नाम नीतू के स्थान पर खुशबु पुत्री पप्पूलाल, वादी नंबर 04 का नाम ममता के स्थान पर पूर्णिमा पुत्री पप्पूलाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया एवं इसी प्रकार वादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्ज काशत की पैतृक आराजी माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या नई 59 के खसरा नंबर 352 की रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 379 की रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 380 की 2.74 है, कुल खसरा किता 03 की कुल रकबा 3.15 है, आराजी में वादी नंबर 01 का नाम विशाल पुत्र पप्पूलाल व वादी नंबर 02 का नाम निकू के स्थान पर दुरुस्त कर खुशबू पुत्री पप्पूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की गई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलवी जारी की गई, प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है, खसरा नंबर 1878 की 0.54 है, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है, खसरा नंबर 859 की 0.15 है, खसरा नंबर 860 की 0.35 है, खसरा नंबर 894 की 0.22 है, खसरा नंबर 904 की 0.09 है, खसरा नंबर 905 की 0.09 है, कुल खसरा किता 13 की रकबा 3.38 है, में वादीगण ईशाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईशाल, निककू के स्थान पर विरेन्द्र उर्फ निककू, नीतू के स्थान पर खुशबू उर्फ नीतू और ममता के स्थान पर पूर्णिमा उर्फ ममता दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इससे राजहित प्रभावित नहीं होता है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत के तस्दीक प्रमाण-पत्र, भोजराज पुत्र भीमराज निवासी नयागांव का शपथ-पत्र, गुड्डीबाई पत्नी स्व० पप्पूलाल बंजारा निवासी नयागांव का शपथ-पत्र, मोहनलाल पुत्र धन्नालाल बंजारा निवासी नालोदी का शपथ-पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य में वादीगण के वाद में चाही गयी प्रार्थना को सत्य बताते हुये वाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।


४५ खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

हमारे द्वारा वाद के अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों, प्रमाण-पत्र व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करने पर हम वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है, खसरा नंबर 1878 की 0.54 है, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है, खसरा नंबर 859 की 0.15 है, खसरा नंबर 860 की 0.35 है, खसरा नंबर 894 की 0.22 है, खसरा नंबर 904 की 0.09 है, खसरा नंबर 905 की 0.09 है, कुल खसरा किता 13 की रकबा 3.38 है, आराजी में वादी नंबर 01 का नाम ईसाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईसाल पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 02 का नाम निक्कू के स्थान पर विरेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 03 के का नाम नीतू के स्थान पर खुशबु उर्फ नीतू पुत्री पप्पूलाल, वादी नंबर 04 का नाम ममता के स्थान पर पूर्णिमा उर्फ ममता पुत्री पप्पूलाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया एवं इसी प्रकार वादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्ज काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या नई 59 के खसरा नंबर 352 की रकबा 0.40 है, खसरा नंबर 379 की रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 380 की 2.74 है, कुल खसरा किता 03 की कुल रकबा 3.15 है, आराजी में वादी नंबर 01 का नाम विशाल पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 02 का नाम निकु के स्थान पर खुशबू पुत्री पप्पूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना व माल ग्राम दांता की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी नंबर 01 व 02 के पिता का नाम पप्पूलाल के स्थान पर पप्पूलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है, खसरा नंबर 1878 की 0.54 है, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है, खसरा नंबर 859 की 0.15 है, खसरा नंबर 860 की 0.35 है, खसरा नंबर 894 की 0.22 है, खसरा नंबर 904 की 0.09 है,

खसरा नंबर 905 की 0.09 है0, कुल खसरा किता 13 की रकबा 3.38 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम ईसाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईसाल पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 02 का नाम निक्कू के स्थान पर विरेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 03 के का नाम नीतू के स्थान पर खुशबु उर्फ नीतू पुत्री पप्पूलाल, वादी नंबर 04 का नाम ममता के स्थान पर पूर्णिमा उर्फ ममता पुत्री पप्पूलाल पत्नि रोडूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी प्रकार वादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्ज काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या नई 59 के खसरा नंबर 352 की रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 379 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 380 की 2.74 है0, कुल खसरा किता 03 की कुल रकबा 3.15 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम विशाल पुत्र पपपूलाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईसाल पुत्र पप्पूलाल व वादी नंबर 02 का नाम निक्कू पुत्री पपपूलाल के स्थान पर खुशबु उर्फ नीक्कू पुत्री पप्पूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही माल ग्राम दांता की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी नंबर 01 व 02 के पिता का नाम पप्पूलाल के स्थान पर पप्पूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)

उपस्थित अधिकारी
कनवास निवासी कोटा (राज०)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

दावा मु.नं. 7/21 जी.सी.एम.एस. 2021/21

1. विशाल उर्फ इसाल पुत्र पप्पूलाल उम्र 10 वर्ष नाबालिग जयवंली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व० पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
2. विरेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र पप्पूलाल उम्र 16 वर्ष नाबालिग जयवंली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व० पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
3. खुशबू उर्फ नीतू पुत्री पप्पूलाल उम्र 13 वर्ष नाबालिग जयवंली माता गुड्डी बाई पत्नि स्व० पप्पूलाल जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव तहसील कनवास जिला कोटा।
4. पूर्णिमा उर्फ ममता पुत्री पप्पूलाल पत्नी रोडूलाल उम्र 22 वर्ष जाति बंजारा निवासी ग्राम नयागांव हाल निवासी ग्राम नालोदी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज०।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.वास्ते नाम दुरुस्ती

उपस्थित -


वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से- तहसीलदार कनवास।

निर्णय


मुकदमा नं. 07/21 सन् 2021 तारीख फैसला 16.02.2021 न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आाराजी माल ग्राम नयागांव पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064-67 खाता संख्या नया 56 के खसरा नंबर 1218 की रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 1222 की रकबा 0.35 है०, खसरा नंबर 1223 की रकबा 0.15 है०, खसरा नंबर 1224 की 0.91 है०, खसरा नंबर 1235 की 0.06 है०, खसरा नंबर 1236 की 0.07 है०,

Page no 6


उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा


खसरा नंबर 1878 की 0.54 है0, खसरा नंबर 1879 की 0.16 है0, खसरा नंबर 859 की 0.15 है0, खसरा नंबर 860 की 0.35 है0, खसरा नंबर 894 की 0.22 है0, खसरा नंबर 904 की 0.09 है0, खसरा नंबर 905 की 0.09 है0, कुल खसरा किता 13 की रकबा 3.38 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम ईसाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईसाल पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 02 का नाम निक्कू के स्थान पर विरेन्द्र उर्फ निक्कू पुत्र पप्पूलाल, वादी नंबर 03 के का नाम नीतू के स्थान पर खुशबु उर्फ नीतू पुत्री पप्पूलाल, वादी नंबर 04 का नाम ममता के स्थान पर पूर्णिमा उर्फ ममता पुत्री पप्पूलाल पत्नि रोडूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी प्रकार वादी नंबर 01 व 02 के संयुक्त खाते एवं कब्ज काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या नई 59 के खसरा नंबर 352 की रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 379 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 380 की 2.74 है0, कुल खसरा किता 03 की कुल रकबा 3.15 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम विशाल पुत्र पप्पूलाल के स्थान पर विशाल उर्फ ईसाल पुत्र पप्पूलाल व वादी नंबर 02 का नाम निक्कू पुत्री पप्पूलाल के स्थान पर खुशबु उर्फ नीक्कू पुत्री पप्पूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही माल ग्राम दांता की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी नंबर 01 व 02 के पिता का नाम पप्पूलाल के स्थान पर पप्पूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.02.2021 माह फरवरी 2021 को जारी की गई।
मोहर


खण्ड आवक
कनवास जिला कोर्ट

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय हुकमनामा		
फीस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय हुकमनामा			मीजान		
मुतफर्रिक					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक््री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।


राजेश डागा (आर0ए0एस0)

खण्ड आवक

कनवास जिला कोर्ट